

L. C. BILL No. XVII OF 2026.

A BILL

**TO AMEND THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023,
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.**

विधान परिषद का विधेयक क्रमांक १७ सन् २०२६।

**महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ में संशोधन करने संबंधी
विधेयक।**

सन् २०२३ का ४६। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ में संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है ;

१. यह अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२६ संक्षिप्त नाम। कहलाए।

सन् २०२३ का
४६ की धारा १५ में
संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (जिसे इसमें आगे, “उक्त संहिता” कहा गया है), की धारा १५ में, “पुलिस अधीक्षक” शब्दों के स्थान पर “सहायक पुलिस आयुक्त या उप-विभागीय सहायक पुलिस अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०२३ का
४६ की धारा ९८ में
संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा ९८ की, उप-धारा (२) के खंड (ख) में “दृश्य प्रस्तुतीकरण” शब्दों के पश्चात्, “या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख” शब्द निविष्ट किए जाएंगे।

सन् २०२३ का
४६ की धारा १०७
में संशोधन।

४. उक्त संहिता की धारा १०७ की उप-धारा (१) में, “पुलिस आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “या संयुक्त पुलिस आयुक्त” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् २०२३ का
४६ की धारा १२९
में संशोधन।

५. उक्त संहिता की धारा १२९ का, खंड (च) के, उप-खंड (एक) में,—

(१) परिच्छेद (छ) में, “या” शब्द अपमार्जित किया जाएगा ;

(२) परिच्छेद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित परिच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ ; या”।

सन् १९८५
का ६१।

सन् २०२३ का
४६ की धारा १७०
में संशोधन।

६. उक्त संहिता की धारा १७० की,-

(१) उप-धारा (२) में, “आवश्यक या प्राधिकृत ” शब्दों के पश्चात्, “उप-धारा (३) के अधीन या” शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट किए जाएंगे;

(२) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी,

अर्थात्:-

“(३) (क) जहाँ किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी, या उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक समय तक (गिरफ्तारी के स्थान से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक ले जाने में लगने वाले समय को छोड़कर) हिरासत में रखना आवश्यक है, इस कारण से कि,—

(एक) वह व्यक्ति अपनी रिहाई के पश्चात् उप-धारा (१) में निर्दिष्ट संज्ञेय अपराध करने की योजना को जारी रखने की संभावना रखता है, या अपराध करने की संभावना रखता है; और

(दो) यदि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसका फरार रहना सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है, तो गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, साथ ही एक लिखित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा जिसमें चौबीस घंटे से अधिक समय तक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने के कारणों का उल्लेख होगा।

(ख) इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक समय तक अस्थायी हिरासत में रखने के लिए उचित आधार हैं, तो वह समय-समय पर आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे। ऐसी अभिरक्षा में भेज सकता है:

परंतु, इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की

अवधि के लिए और ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की दिनांक से कुल तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

(ग) जब किसी व्यक्ति को खंड (ख) के अधीन अभिरक्षा में भेजा जाता है, तो मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र उस व्यक्ति को आदेश के आधारों की सूचना देगा और वह व्यक्ति सत्र न्यायालय में आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है। सत्र न्यायाधीश, ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, जिसे वह उचित समझे ऐसी जांच करने के पश्चात्, या तो अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकता है, या यदि वह समझता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को आगे हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है, या ऐसा करना अन्यथा उचित और न्यायसंगत है, तो आदेश को रद्द कर सकता है और गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।”।

७. उक्त संहिता की धारा १७३, की उप-धारा (३) के खण्ड (एक) में, “चौदह दिन” शब्दों के स्थान पर “छह सप्ताह” शब्द रखे जाएंगे। सन् २०२३ का ४६ की धारा १७३ में संशोधन।

८. उक्त संहिता की धारा ४८२ की, उप-धारा (१) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, सन् २०२३ का ४६ की धारा ४८२ में संशोधन।
अर्थात् :—

“(१क) अग्रिम जमानत चाहनेवाले आवेदक की उपस्थिति आवेदन की अंतिम सुनवाई और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय अनिवार्य होगी, या यदि लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायालय न्याय के हित में ऐसी उपस्थिति को आवश्यक समझता है।”।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (सन् २०२३ का ४६) भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (सन् २०२३ का ४५) और दंडिक अपराधों को नियंत्रित करनेवाले किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों की जांच, पूछताछ और अपराधों के विचारण की प्रक्रिया को विनियमित करती है।

२. पुलिस बल की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में यथा लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ के कुछ अनुभागों में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. प्रस्तावित संशोधन यथा निम्नलिखित हैं:-

(एक) उक्त संहिता की धारा १५ में यह उपबंध है कि राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक या समकक्ष से अनिम्न श्रेणी के किसी भी पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगी। सहायक पुलिस आयुक्त या उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी की अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले अपराधों की जांच में अधिक सुसंगत परिचालन की भूमिका होती है। इसलिए, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन के कारण, सरकार उक्त धारा १५ में यथोचित संशोधन द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त या उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी या समकक्ष से अनिम्न श्रेणी के किसी भी पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करना इष्टकर समझती है।

(दो) उक्त संहिता की धारा ९८ में यह उपबंध है कि, यदि किसी समाचार पत्र, किताब या दस्तावेज, चाहे वह कहीं भी छपा हो, राज्य सरकार को ऐसी कोई सामग्री दिखाई देती है, जिसका प्रकाशन 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (सन् २०२३ का ४५) की, धारा १५२, १९६, १९७, २९४, २९५ या २९९ के अधीन दंडनीय है, तो राज्य सरकार ऐसे समाचार पत्र, किताब या दस्तावेजों को ज़ब्त करने की घोषणा कर सकेगी और उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगी। उक्त धारा में 'दस्तावेज' निबंधन में, कोई पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या कोई अन्य दृश्य रूप प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है। भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की, धारा २ के खंड (८) के अंतर्गत 'दस्तावेज' निबंधन की परिभाषा दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित है। इसलिए 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा ९८ के प्रयोजनों में स्पष्टता लाने के लिए, सरकार ने 'दस्तावेज' निबंधन के अर्थातर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख को सम्मिलित करने के उद्देश्य से इसमें संशोधन करना इष्टकर समझा है।

(तीन) उक्त संहिता की धारा १०७ की उप-धारा (१) में यह उपबंध है कि, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से, किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने के परिणामस्वरूप प्राप्त संपत्ति की कुर्की हेतु न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकेगा। ऐसे अनुमोदन में शीघ्रता लाने की दृष्टि से, सरकार, उक्त-धारा १०७ की, उप-धारा (१) में यथोचित संशोधन द्वारा ऐसी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना और ऐसी शक्तियाँ स्थानीय स्तर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त को सौंपना भी इष्टकर समझती है।

(चार) उक्त संहिता की धारा १२९ कतिपय अधिनियमों के अधीन अपराध करने वाले आद्यतन अपराधियों के अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा का प्रदान करती है। स्वापक औषधी और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ (सन् १९८५ का ६१) के अधीन आनेवाले अपराध उक्त धारा १२९ के अंतर्गत नहीं आते हैं। मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार उक्त धारा १२९ में यथोचित संशोधन द्वारा स्वापक औषधी और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ (सन् १९८५ का ६१) के अंतर्गत आने वाले अपराधों को उक्त धारा १२९ के दायरे में सम्मिलित करना इष्टकर समझती है।

(पाँच) उक्त संहिता की धारा १७० में संशोधन प्रस्तावित है जिसमें उपर्युक्त मामलों में, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने का उपबंध है, जहाँ उसके फरार रहने से कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, एक बार में पंद्रह दिनों की अवधि के लिए, परंतु कुल अवधि तीस दिनों से अधिक नहीं हों। प्रस्तावित संशोधन महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में यथा लागू दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन् १९७४ का २) में महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ सन् १९८१ द्वारा किया गया था। उक्त संहिता, उक्त संहिता द्वारा निरसित की गई है और यह उपबंध उक्त संहिता में अन्तर्विष्ट नहीं है। इसलिए, यह संशोधन प्रस्तावित है।

(छह) संज्ञेय मामलों में कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला होता है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जाँच करने की समयावधि को उक्त संहिता की धारा १७३ में यथोचित संशोधन द्वारा चौदह दिनों से बढ़ाकर सह सप्ताह करने का प्रस्ताव है।

(सात) उक्त संहिता की धारा ४८२ में संशोधन करना प्रस्तावित है ताकि, अग्रिम जमानत मांगनेवाले गिरफ्तारी की आशंका रखनेवाले व्यक्ति की अंतिम सुनवाई और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, और साथ ही जहाँ लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायालय के न्याय हित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक समझता है। प्रस्तावित संशोधन महाराष्ट्र अधिनियम (सन् १९९३ का अधि. क्र. २४) द्वारा महाराष्ट्र राज्य पर लागू दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में किया गया था आपराधिक दण्ड प्रक्रिया, १९७३ उक्त संहिता द्वारा निरस्त कर दी गई है और उक्त उपबंध उक्त संहिता में निहित नहीं हैं। इसलिए, यह संशोधन प्रस्तावित है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २ जुलाई, २०२६।

देवेन्द्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २ जुलाई, २०२६।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव-३,
महाराष्ट्र विधानपरिषद।